

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

—: आदेश :-

श्री बालकृष्ण शर्मा, तत्कालीन व्या. हिन्दी राउमावि जोड़ीपट्टा सांत्यू, चूरु जो निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा-मा/वि.जांच/11119/बी-138/17/35 दिनांक 27.04.2017 के द्वारा निलम्बन पर दिनांक 15.05.17 से उपस्थिति इस कार्यालय में दे रहे हैं। श्री शर्मा के विरुद्ध विभागीय जांच को विचाराधीन रखते हुए आदेश क्रमांक शिविरा-मा/वि.जांच/11119/बी-138/17/42 दिनांक 29.05.2017 के द्वारा बहाल किया गया है। इस क्रम में श्री बालकृष्ण शर्मा को राउमावि सोमासी जिला चूरु में व्याख्याता, हिन्दी के पद पर पदस्थापन तत्काल प्रभाव से किया जाता है।

श्री शर्मा नव पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण कर इस कार्यालय को सूचित करें।

(नथमल डिडेल)

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/पदस्थापन/बालकृष्ण/2017
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक : 09/06/17

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
2. उप निदेशक (माध्यमिक), चूरु
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), चूरु
4. संस्था प्रधान, राउमावि सोमासी जिला चूरु
5. संबंधित कार्मिक
6. रक्षित प्रन्नावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर